ISBN: 978-81-974088-0-9

10. वर्तमान समाज एवं दिव्यांग की समस्याओं के समाधान का एक अध्ययन

डॉ. संजय कुमार साहू

सहायक प्राध्यापक,
श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय,
जामगॉव जिला – गरियाबंद (छ.ग.).

परिचय :–

दिव्यांग वह व्यक्ति है जिसमें मुख्यतः शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या न कर पाने की क्षमता के रूप में परिभाषित होती है। दिव्यांगों की मुख्यतः विभिन्न प्रकार की समस्या जैसे – शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आर्थिक, नैतिक, व्यावसायिक आदि विभिन्न रूपों में चिन्हांकित होते हुये समाज में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में संघर्ष के करते हुये समाज के योगदान में सुस्पष्ट नहीं हो पाती है। यह दिव्यांग की गतिविधियों, इन्द्रियों और कार्यो में परिलक्षित होती है।

प्रस्तावना :–

दिव्यांग बालक या व्यक्ति जिसकी शारीरिक या मानसिक विकृति के रूप में उसके जीवन की विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने के साथ उसकी कार्य क्षमता में कमी तथा सामान्य जीवन की जरूरी गतिविधियो में बाधा उत्पन्न करती है।

जिसके फलस्वरूप उनमें मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक क्षमताओं को प्रभावित करती है। विकलांग व्यक्ति के विभिन्न समस्याओं का समाधान करना वर्तमान समाज की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के साथ उन्हें विकास के अधिक से अधिक अवसरों को प्रदान करते हुये मानव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिये।

अध्ययन का उददेश्यः

1. दिव्यांग बालकों की शारीरिक समस्याओं का समाधान के लिए चिकित्सकीय व्यवस्था की उपलब्धता का अध्ययन करना।

2. दिव्यांग बालकों के कृत्रिम अंगों की उपलब्धता का अध्ययन करना।
3. दिव्यांग बालकों के उत्थान में शासकीय योजनाओं का अध्ययन करना।

दिव्यांग बालकों की शारीरिक समस्या :–

दिव्यांग बालकों से तात्पर्य किसी स्थाई शारीरिक दोष से युक्त बालकों से जिनके द्वारा सामान्य बालकों की क्रियाओं में भाग लेने से वंचित रहने के साथ हीन भावना का प्रादुर्भाव होने लगता है।

ऐसे ग्रसित बालक या व्यक्ति समाज के साथ समायोजन कर पाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें शारीरिक कुरूपता या बेढ़गापन होता है। फलस्वरूप दिव्यांग बालकों में संतोषजनक एवं रूचियां प्रभावित होने के साथ संयोगात्मक समस्या के रूप में विकसित होती है। जिसके कारण शारीरिक समस्या या दोष निरंतर बढ़ती जाती है। इनके परिणाम स्वरूप दिव्यांग बालकों के अंदर आत्म दैन्य की भावना उत्पन्न हो जाती है।

चिकित्सा के द्वारा विकृतियों का इलाज :–

मेडिकल साइंस ने नवीन तकनीकियों एवं पद्धतियों का विकास कर अनेक जटिल बिमारियों का इलाज संभव कर दिया है। वर्तमान में अनेक प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही है जो दिव्यांग जनों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान निकालने का लिए प्रयासरत है। दिव्यांग बालकों में जैसे – आर्थोपेडिक विकलांगता का उचित चिकित्सा निदान आमतौर पर उचित तत्परता के साथ राज्य के चिकित्सा संस्थानों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है।

कृत्रिम अंगों की उपलब्धता :–

दिव्यांगों के लिए कृत्रिम या सहायक उपकरण योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न सहायक उपकरण या कृत्रिम अंग जैसे – ट्राई सायकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वाकर, कैलिपर्स आर्टिफिशियल हाथ, पैर आदि निः शुल्क उपलब्ध कराये जाते है।

दिव्यांग लोगों के लिए शासकीय योजनाएं :–

दिव्यांग बालकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति रखते हुये समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं को एक निश्चित पात्रता के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया गया है जिसकी पात्रता निम्नानुसार है :–

1. दिव्यांग जन दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड धारक हो।
2. किसी प्रकार की निःशक्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
3. छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो।
4. बी.पी.एल. परिवार का सदस्य हो अथवा कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुशंसा हो।

मिलने वाले लाभ :–

माता पिता/अभिभावक या स्वयं की मासिक आय 5000/– रूपये प्रति माह होने पर निःशुल्क तथा जीनकी आय 5001/– से 8000/– रूपये के मध्य हो। उन्हें संसाधन की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर संसाधन प्रदान किये जाते है। योजना अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को ट्राई साइकल, वैशाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल, किट, व्हील चेयर, टेप रिकार्डर तथा अन्य कृत्रिम अंग प्रदान किये जाते है इस योजना में अधिकतम 6900/–रूपये तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

आवेदन की प्रकिया :– आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संलग्न कर संयुक्त संचालक/उपसंचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा।

दिव्यांग पेशन योजना :–

दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग) योजना के अन्तर्गत कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को उनके भरणपोषण के लिए 500/– रूपये और उस अवस्था से ग्रसित दिव्यांग जन को 2500/– रूपये प्रति माह दिया जाता है।

शादी प्रोत्साहन योजना :–

दिव्यांग बालकों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समाज के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने हेतु सरकार द्वारा दिव्यांगों के शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 2017–18 में 21, 2018–19 में 08, 2019–20 में 04, 2020–21 में 04, 2021–22 में 06 दिव्यांग जनों को अर्थात 05 वर्षो में इस योजना के तहत् लगभग 43 दिव्यांगजन लांभावित हुये।

जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा उनकों दैनिक जीवन की वस्तुएं जैसे – आलमारी, पंखा, कूलर, रसोई सामग्री, वाहन, कपड़े, आभूषण उपलब्ध कराने के साथ जीविकोपार्जन हेतु कुछ राशि लगभग 5100/– रूपये प्रति जोड़े को शासन द्वारा प्रदान किया गया है। यह एक प्रकार से दिव्यांगों के प्रति राज्य शासन की एक महत्वकांक्षी योजना है।

दिव्यांगों के सशक्तीकरण की दिशा में सरकारी प्रयास :–

संविधान के अनुच्छेद 41 निःशक्तजनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है।

इसी प्रकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य भी एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहॉ विभिन्न पिछड़े एवं कमजोर तबकों के साथ–साथ दिव्यांगजनों को एक सुरक्षित सम्मानित और समृद्ध जीवन सुलभ कराया जा सके किन्तु विकलांग बालकों को व्यावसायिक विकास पूर्ण करने में असमर्थ साबित हो रहा है।

शासन की योजनाओं में आने वाली बाधाएं दिव्यांग लोगों के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित किये जा रहे है पर जमीनी स्तर पर इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है इसका मुख्य कारण लोगों की जागरूकता का अभाव एवं योजनाओं का लोकव्यापीकरण नहीं होने के कारण अनेक लाभार्थी वंचित हो जाते है एवं दुसरा कारण शासन से जुड़े हुये लोगों की अकर्मठता एवं उदासीनता व्यापक स्तर पर दिव्यांग बालकों को भविष्य के प्रति उन्मुख करने तथा विकास के मार्ग को प्रसस्त करने में बाधाओं का प्रमुख कारण है जो कि सुरसा की तरह एक विकराल रूप धारण कर रही है।

निष्कर्ष :–

भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलता है। दिव्यांगजन समाज का वह अभिन्न अंग है जिन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। दिव्यांग जनों को भी समाज में सम्मान पूर्वक जीवन निर्वह के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए जिससे समाज के विकास में इनका भी योगदान हो सकें क्योंकि ईश्वर ने दिव्यांग जनों को कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अनिवार्य रूप से प्रदान करते है जिनको सही मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारा जा सकता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे एवं अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया के सामने रख सकने में सार्थक हो सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यशीलता, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएफ) जिनेवा 2001 डब्ल्यूएचओं.
2. अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग। विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं तंदुरूस्ती में सुधार के लिए सर्जन जनरल का आहवानवाशिंगटन, अमेरिकी और मानव सेवा विभाग, सर्जन जनरल का कार्यालय 2005
3. दृष्टि आई. ए. एस. डॉट कॉम
4. विकलांग डॉट कॉम